

[TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA-ORDINARY]
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION
OLD SECRETARIAT: DELHI-110054

Dated the 09.10. 2014

NOTIFICATION

No.F.DE.23 (42)/DE/RTE/2013-14/1305-1314. In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) (RTE Act) the Lieutenant Governor National Capital Territory of Delhi is pleased to notify inclusion of a "transgender" child within the meaning of "child belonging to disadvantaged group" as defined in the said section of the RTE Act applicable to all schools situated within the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,



**(Dr. Madhu Rani Teotia)(IAS)
Additional Secretary (Education)**

Copy to:-

1. Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi.
2. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
3. Secretary, MHRD, Govt. of India.
4. Principal Secretary, Education, Govt. of NCT of Delhi.
5. Director (Education), Govt. of NCT of Delhi/Municipal Corporations of Delhi (East/North/South)/New Delhi Municipal Council/Chief Executive officer, Delhi Cantonment Board.
6. Director, Directorate of Information and Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
7. All Addl. Directors/RDs/JDs/DDEs/ADEs of Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
8. All Branch In charges, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
9. OS (IT) with the request to place it on the website of the Department.
10. Guard file.



**(Dr. Madhu Rani Teotia)(IAS)
Additional Secretary (Education)**

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.

दिनांक: 09.10.2014

अधिसूचना

स0फ0.23(42)/डी0ई0/आरटीई/2013-14/1305-1314.- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर स्थित समस्त विद्यालयों पर लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम की उक्त धारा में यथापरिभाषित "अलाभित समूह का बालक" के अर्थ के भीतर "उभयलिंग" बच्चे को सन्निविष्ट करने के लिए अधिसूचित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

मधु तेवतिया

(डॉ० मधु रानी तेवतिया) (आईएसएस)
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)
दिनांक:

स0फ0. 23(42)/डी0ई0/आरटीई/2013-14

प्रतिलिपि निम्न को :-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली।
4. प्रधान सचिव, शिक्षा, दिल्ली सरकार।
5. निदेशक (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार/दिल्ली नगर निगम (पूर्व/उत्तर /दक्षिण), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड।
6. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. समस्त अपर निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप-निदेशक शिक्षा/सहायक निदेशक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. समस्त शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. कार्यालय अधीक्षक (आईटी) को विभाग की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध सहित।
10. गार्ड फाईल।

मधु तेवतिया

(डॉ० मधु रानी तेवतिया) (आईएसएस)
अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)